

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

पता - कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in

Ph. & Fax No. 07141-234266

क्रमांक/मा.चि./ 764
प्रति,

बैतूल, दिनांक 16/04/2019

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

- विषय :- जिला बैतूल के अंतर्गत प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।
- संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्र./6-MPC 014/2019-BHO/190 दिनांक 28.02.2019
2. आपका पत्र क्र./एफ-3/16/ 2018/10-11/689 दिनांक 02.03.2019
3. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल का पत्र क्र./मा.चि./1201 दिनांक 05.03.2019
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 बैतूल का पत्र क्र./1122/कार्य/2019 बैतूल दिनांक 09.04.2019

-00-

निवेदन है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार आपके पत्र क्रमांक/एफ-3/16/ 2018/10-11/689 दिनांक 02.03.2019 के परिपालन में विषयांकित प्रकरण से संबंधित चाही गई 05 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है:-

स.क्र.	बिन्दु	जानकारी विवरण
1	Comparative statement of alternatives examined does not shows the forest area involved in different alternatives and also the map with reference to alternative examined is not clear in terms of understanding. Hence the same shall be submited and uploaded.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50000 स्केल के शीट न. 55-जी/09 पर Alternatives-III एवं शीट न. 55-जी/13 पर Alternatives-I दर्शाते हुये हस्ताक्षरित 2-2 प्रतियों में हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी संलग्न प्रेषित है।
2.	Site Inspection Report of DFO Reads that villagers of Chouki & Ratamati are dependent on this proposed land for grazing of fuelwood. Hence the report regarding settlement of their right shall be submitted.	Village Chouki and Ratamati has around 1400 ha. forest land around villages. Of this 7.002 ha. area is being affected by proposed project. So the area being diverted is insignificant and will not affect the dependence of villagers on forest for fuel & fodder.
3.	DSS analysis shows that the KML file of proposed diversion pertains 1.48 ha area more against proposed area i.e. 7.002 ha. Hence correct KML file in accordance to proposal shall be submitted.	निर्देशानुसार आवेदित क्षेत्र 7.002 है. अनुसार सही KML file की सॉफ्ट कापी संलग्न प्रेषित है।
4.	The dam axis and spill way in not marked in KML file. Hence same shall be submitted.	Only some part of dam axis is come under the undermarketed protected forest land only that part of dam axis is now shown in the KML file. Rest part of dam axix which is come under private land. Can not be mark on KML other wise area of effected Undermarketed forest land will increas. The same thing is for spil way which also come's under private land. so therefore not need to mark on KML file.
5.	The FRA cetificate and copy of Part-II Shall be uploaded on e-portal.	निर्देशानुसार FRA cetificate Web portal पर अपलोड किया गया।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 765

बैतूल, दिनांक 16/04/2019

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल